आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department, Government of Uttarakhand

Nirashrit Vidhwa ki Putriyon ke Vivah hetu Anudan Yojana (Marriage Grant for Daughters of Destitute Widows, Uttarakhand)

उत्तराखंड सरकार विधवा पेंशन पाने वाली विधवाओं को अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए हर बेटी पर एक बार अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

विधवा पेंशन पाने वाली निराश्रित विधवा की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए हर बेटी पर एक बार मिलने वाला अनुदान। विभाग पेंशन की पुष्टि करता है और मंजूरी के बाद रकम लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

किसके लिए है

उत्तराखंड की निराश्रित विधवाएं जिन्हें समाज कल्याण विभाग से विधवा पेंशन मिल रही है, बेटी की शादी के लिए।

मुख्य शर्तें

- मां को समाज कल्याण विभाग से विधवा पेंशन मिलती हो, और सभी स्रोतों से उसकी आय योजना की तय सीमा के भीतर हो, या परिवार बीपीएल हो
- अधिकतम दो बेटियों को मदद मिलती है, और दूल्हा-दुल्हन की उम्र योजना की तय सीमा में होनी चाहिए
- इस योजना में जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है

दस्तावेज़

- वही कागज जो अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह अनुदान में लगते हैं, जाति प्रमाण पत्र के बिना: आधार, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय या बीपीएल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र और शपथ पत्र

आवेदन कैसे करें

1. अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह अनुदान की तरह ही आवेदन करें: खुद या कॉमन सर्विस सेंटर से पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या eservices.uk.gov.in पर।
2. समाज कल्याण विभाग पुष्टि करता है कि आपको विधवा पेंशन मिल रही है, फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुदान मंजूर कर रकम आपके बैंक खाते में भेजते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/20250407175667 13.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://eservices.uk.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/20250407175667 13.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-destitute-widow-daughters-marriage-grant/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।